**भारत सरकार**
**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 164**
**21.06.2019 को उत्तर के लिए**

**पर्यावरण का संरक्षण**

**164. प्रो. सौगत राय :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में अप्रत्याशित जलवायु परिवर्तन को देखते हुए पर्यावरण संरक्षण हेतु माधव गाडगिल समिति की रिपोर्ट को लागू करने को इच्छुक है;

(ख) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट के कार्यान्वयन हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या किसी राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई आपत्ति दर्ज की है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने नोट किया है कि पर्यावरण की दृष्टि से काफी बड़े संवेदनशील क्षेत्र पर अतिक्रमण हो रखा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा अतिक्रमण करने वालों को बेदखल करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

**उत्तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री**
**(श्री प्रकाश जावेडकर)**

(क) से (घ) पश्चिमी घाटों के अनुरक्षण और सुरक्षा हेतु इस मंत्रालय ने क्षेत्र के सतत विकास का संवर्धन करने के लिए पश्चिमी घाटों के संरक्षण और पर्यावरणीय अखण्डता हेतु उपायों की सिफारिश करने के लिए प्रोफेसर माधव गाडगिल की अध्यक्षता में पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल (डब्ल्यूजीईईपी) का गठन किया था। डब्ल्यूजीईईपी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के संबंध में बड़े पैमाने पर की गई आपत्तियों पर विचार करते हुए इस मंत्रालय द्वारा डब्ल्यूजीईईपी रिपोर्ट की एक समग्र रीति से जांच करने के लिए और पश्चिमी घाटों के पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसए) की सुरक्षा हेतु उपायों की सिफारिश करने के लिए डॉ. के. कस्तुरीरंगन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कार्य दल (एचएलडब्ल्यूजी) का गठन किया गया था।

पश्चिमी घाटों के पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसए) को तत्काल संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार ने दिनांक 13.11.2013 को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत निदेश जारी किए हैं। इन निदेशों के अनुसार, नई और/अथवा विस्तारण परियोजनाओं/कार्यकलापों, जिनके पारि-प्रणालियों पर अधिकतम हस्तक्षेपकारी और अहितकर प्रभाव पड़ते हैं, की पांच श्रेणियों अर्थात् (i) खनन, उत्खनन और बालू खनन, (ii) ताप विद्युत संयंत्रों, (iii) 20,000 वर्ग मीटर और इससे अधिक क्षेत्र में भवन और निर्माण परियोजनाओं, (iv) 50 हेक्टेयर और इससे अधिक और/अथवा 1,50,000 वर्ग मीटर और इससे अधिक में निर्मित क्षेत्र सहित उपनगर और क्षेत्र विकास परियोजनाओं तथा (v) उद्योगों की लाल श्रेणी को पश्चिमी घाटों के पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसए) में निषिद्ध किया गया है।

इसके अतिरिक्त, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में फैले 56,825 वर्ग किमी क्षेत्र को पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील घोषित करते हुए दिनांक 10.02.2014 को पत्र का.आ. 733 (अ) द्वारा एक प्रारूप अधिसूचना जारी की थी। यह प्रारूप अधिसूचना तत्पश्चात तीन बार दिनांक 04.09.2015 के पत्र का.आ. 2435 (अ); दिनांक 27.02.2017 के पत्र का.आ. 667 (अ) और दिनांक 03.10.2018 के पत्र का.आ. 5135 में उसी ईएसए क्षेत्र के साथ पुन:

प्रकाशित की गई थी। एचएलडब्ल्यूजी की सिफारिश से ईएसए क्षेत्र को कम/परिवर्तित करने की राज्य की निरंतर मांग करने के कारण प्रारूप अधिसूचना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता है।

(ड.) से (च) राज्य सरकार द्वारा इस मंत्रालय को पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अतिक्रमण का मामला सूचित नहीं किया गया है।

******